VAISHNAV MATA
SHIKSHA SAMITI, PANNA

वैष्णव माता महाविद्यालय

VAISHNAV MATA MAHAVIDHYALAYA

Affiliated to Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur
Recognised by M.P. Higher Education

P R O S P E C T U S

VAISHNAV MATA
MAHAVIDHYALAYA

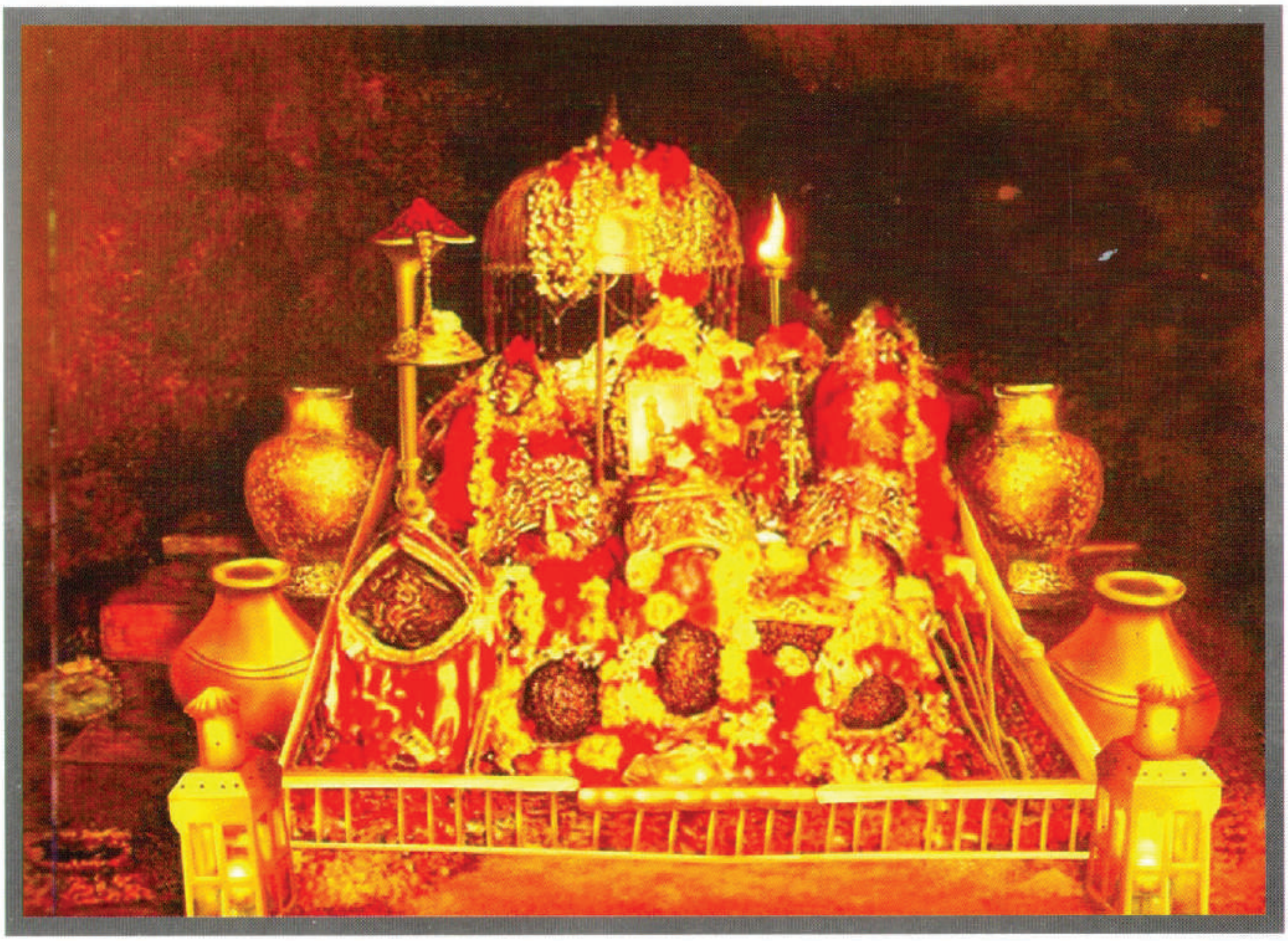

VAISHNAV MATA MAHAVIDHYALAYA

PLOT NO. 1229/2 VILLAGE PANNA, POST PANNA, DISTT. PANNA (M.P.)- 488001
Ph.: 07732-250001, 292125
Mobile : 7000687083, 9425168277, 7974395715
E-mail : vmvmpanna@yahoo.in
Web Site : **www.vmvmpanna.in**

VAISHNAV MATA
MAHAVIDHYALAYA

- **B.ED**
  2 years course
  Eligibility - Graduation
  50% or ST/SC - 45%

- **B.Sc. (Plain)**
  Maths
  3 years course
  Eligibility - 10 + 2

- **B.Sc.**
  Computer Application
  Maths
  3 years course
  Eligibility - 10 + 2

- **B.Com.**
  Plain
  3 years course
  Eligibility - 10 + 2

- **B.A.**
  3 years course
  Eligibility - 10 + 2

- **B.Sc. (Plain)**
  Bio
  3 years course
  Eligibility - 10 + 2

- **B.Sc.**
  Computer Application
  Bio
  3 years course
  Eligibility - 10 + 2

- **B.Com.**
  Computer
  3 years course
  Eligibility - 10 + 2

Graduation

12th Arts	B.A.
12th Commerce	B.Com.
12th Biology	B.Sc.
12th Maths	B.Sc.

12th Commerce	B.Com. (Computer application)
12th Biology	B.Sc. (Computer application)
12th Maths	B.Sc. (Computer application)

VAISHNAV MATA
MAHAVIDHYALAYA

प्राचार्य

उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाएं

1 बी.एड.द्विवर्षीयपाठयक्रम (छ.से.)
2. बी.एस.सी. (प्लेन) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (छ.से.)
3. बी.एस.सी. (कम्प्यूटर) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (छ.से.)
4. बी.कॉम. (प्लेन / कम्प्यूटर) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (छ.से.)
5. बी.ए. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (छ.से.)

विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए पात्रता

विज्ञान पाठ्यक्रम बी.एस.सी / बीए / बी.एड. / बी.कॉम. में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा जिन्होंने किसी भी विषय से 10+2 पास की है।

विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश आरक्षण अथवा अधिभार के आधार पर न होकर गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जाएगा।

विधि भाग प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए प्रवेश नियम पात्रता प्रभावी होगी। वर्तमान में अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यार्थियों को स्नातक में 45% अंकों से उत्तीर्ण होना तथा शेष के लिए 50% अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

प्रवेश के नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय, बार काउन्सलिंग ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्त, नियम 2010–11 के अन्तर्गत गुणानुक्रम एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर दिए जावेंगे।

2. प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र महाविद्यालय के कार्यालय से निर्धारित एवं अधिसूचित तिथि से विक्रय किये जायेंगे।

3. प्रवेश से अभिप्राय निर्धारित तिथि तक शुल्क के भुगतान से है।

निम्नांकित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा

1. जिसके प्रकरण परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने के कारण विचाराधीन हो, तब तक कि वे सम्बन्धित कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेते।

2. वे छात्र जो रेगिंग के दोषी हों तथा जिन छात्रों के विरूद्ध न्यायालय में अपराधिक अथवा अनैतिकता के प्रकरण चल रहे हों अथवा परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण प्रमाणित हो।

3. जिन छात्रों ने परीक्षा में किसी प्रकार का व्यावधान उत्पन्न किया हो।

4. जिस विद्यार्थी के विरूद्ध महाविद्यालय की शिक्षक परिषद द्वारा सर्वानुमति से प्रवेश न देने सम्बन्धी निर्णय दिया हो।

प्रवेश प्रक्रिया

बीए / बी.एड. / बी.एस.सी. एवं बी.कॉम. कम्प्यूटर प्रथम सेमेस्टर, तृतिय सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के समय आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक अभिलेख निम्नलिखित है। –

1. विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का मूल प्रमाण–पत्र
2. विगत परीक्षा की अंक सूचियों की दो अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
3. जन्मतिथि का प्रमाण–पत्र (दसवीं बोर्ड की सूची)
4. मूल–निवासी प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
5. चरित्र प्रमाण–पत्र
6. अध्ययन क्रम में अन्तराल का प्रमाण–पत्र (कोर्ट का मूल एफिडेबिट)
7. पासपोर्ट साईज के दो फोटो।
8. जाति प्रमाण–पत्र ।

विशेष – आवेदन पत्र में जाली प्रमाण पत्रों, तथ्य छुपाने, गलत जानकारी देने पर अथवा कार्यालयीन त्रुटिवश दिए गये प्रवेश निरस्त कर दिए जायेंगे।

"म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं महाविद्यालय प्रशासन से यदि प्रवेश सम्बन्धी नियमों में संशोधन अथवा नए नियम प्राप्त होते हैं तो उपरोक्त नियमों के स्थान पर नए नियम तत्काल प्रभावशील होंगे।"

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति आवश्यक है, केवल कारणों में जैसे– अस्वस्थता, दुर्घटना, खेलकूद या महाविद्यालयीन गतिविधियों में भाग लेने पर प्राचार्य कुछ छूट दे सकते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% से कम होने पर उन्हें स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना पड़ेगा। बर्शते वे आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं परियोजना पूर्ण कर चुके हो।

उपस्थिति की गणना सन् में हुए व्याख्यानों से की जाएगी। उपस्थिति ज्ञात करने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा। लगातार एक माह बिना वैध कारण से अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय से निरस्त हो जाएगा। विशेष परिस्थितियों में पुनः प्रवेश दिया गया तो शासकीय नियमानुसार पुनः शुल्क देय होगा।

विशेष उपस्थिति

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75% उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जायेगा। उपस्थिति पूरी न होने पर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

विद्यार्थियों के लिए सुविधाएँ

1. पुस्तकालय – संदर्भ ग्रथों की सुविधा के साथ महाविद्यालय के पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तके हैं। पुस्तकालय का भव्य सुविधापुर्ण नवनिर्मित भवन है।

मुख्य सामान्य पुस्तक कक्ष – इसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पुस्तकें विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं।

अध्ययन क्रम – यह क्रम उन सभी परिश्रमी विद्यार्थियों के लिए है जो महाविद्यालय परिसर में ही अध्ययन करना चाहते हैं। यहाँ पाठ्य–पुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथ अध्ययन हेतु उपलब्ध है।

निर्धन छात्र पुस्तकालय – यह छात्र सहायता निधि से चलाया जाता है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर तथा योग्य विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें अध्ययन हेतु दी जाती हैं।

2. खेलकूद – महाविद्यालय में अनेक खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। छात्र–छात्राओं से अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय की खेलकूद गतिविधियों में भाग लें।

3. सुसज्जित कम्प्यूटर लैब

4. बैठने की उत्तम व्यवस्था

5. विशेष प्रशिक्षण – महाविद्यालय में आउटडोर एवं इनडोर खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिये जावेंगे।

6. केन्टीन – अध्ययन की लम्बी समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए केन्टीन की सुविधा उपलब्ध है।

इस सुविधा का दुरुपयोग न करें, कक्षा छोड़कर कैन्टीन में न बैठें, कैन्टीन केवल महाविद्यालय परिवार के लिए है। बाहरी व्यक्तियों को इसमें लाना प्रतिबंधित है।

7. छात्रा सशक्तिकरण समिति – महाविद्यालय में छात्रा सशक्तिकरण समिति का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य महाविद्यालय परिसर में छात्राओं के सुरक्षित और निश्चित होकर अध्ययन को सुनिश्चित करना है। छात्राओं से अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल निम्न बिन्दुबों पर विशेष ध्यान रखेंगे–

1. छात्राएं महाविद्यालय में शालीन वस्त्र पहनकर आवें।
2. महाविद्यालय परिसर में कक्षाओं, प्रयोगशालाओं तथा वाचनालय में ही रहें। कॉलेज परिसर के बाहर छुट्टी के पूर्व बिना अनुमति के न जावें।
3. महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में उत्साह पूर्वक भाग लें। यदि कोई समस्या आवें तो निराकरण के लिए किसी भी प्राध्यापक से संपर्क करें ताकि समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके।
4. छात्रा सुरक्षा समिति की बैठकें प्रत्येक माह की जावेगी, जिसमें सभी छात्राएं बिना किसी औपचारिकता के आमंत्रित हैं।

VAISHNAV MATA
MAHAVIDHYALAYA

रैगिंग

रैगिंग एक सामाजिक अपराध है यह छात्र के जीवन पर घातक दुष्प्रभाव डालता है, फलतः इसे कठोरता से रोकने हेतु महाविद्यालय प्रतिबंद्ध है। महाविद्यालय द्वारा एतदर्थ अनुशासन एवं एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है जो सतत् परिसर एवं कक्षाओं में भ्रमण कर इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करती है। छात्रों को परामर्श दिया जाता है कि वे निर्भय होकर महाविद्यालय के साथ अपने अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करें तथा किसी भी छात्र द्वारा किंचित भी मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने पर अविलम्ब एंटी रैगिंग कमेटी को अथवा अनुशासन समिति के किसी प्राध्यापक अथवा प्राचार्य को सूचित करें।

म.प्र. शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार रैगिंग के प्रति महाविद्यालय की जीरो टॉलरेन्स (Zero Tolerance) की नीति है। अतः वरिष्ठ छात्र / छात्राओं से अपेक्षा है कि वे किसी भी पक्ष में अपने कनिष्ठ छात्र / छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार न करें। इन्ट्रोडक्शन / फ्रेशर पार्टी इत्यादी भी रैगिंग की गिनती में आ सकती हैं। वरिष्ठ विद्यार्थी किसी भी कारण से कनिष्ठ विद्यार्थियों की कक्षा में नहीं जायेंगे। इनकी कक्षा में पाये जाने पर उन पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। वे महाविद्यालय परिसर में भी उनसे बातचीत करने का प्रयास नहीं करेंगे। कनिष्ठ विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अपने साथ छोटे से छोटे अनुचित व्यवहार होने पर रैगिंग कमेटी को सूचित करें। हम सभी को रैगिंग जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से उखड़ना है।

वरिष्ठ छात्रों को भी सचेत किया जाता है कि वे ऐसी किसी भी कार्यवाही से स्वयं को अलग रखें अन्यथा शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध

मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495 / 06 केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध महाविद्यालय प्राचार्यों की परिषद तथा एस.एल.पी. क्र. 24296–24299 / 2004, डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी.) नं. 173 / 206 तथा एस.एल.पी. क्र. 14356 / 2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरूद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

दण्ड

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्र. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरूद्ध निम्नानुसार दण्ड का प्रावधान है–

1. कक्षाओं से निलंबन
2. महाविद्यालय से निष्कासन
3. वि.वि. / स्वशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

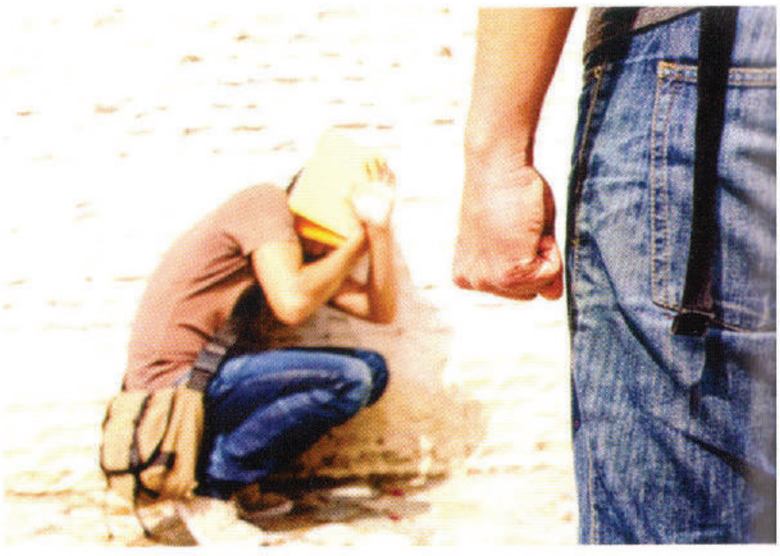

VAISHNAV MATA
MAHAVIDHYALAYA

कृपांक हेतु नियम

1. स्नातकोत्तर स्तर पर केवल A.T.K.T. से उत्तीर्ण होने के लिए मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में अंक के कृपांक की पात्रता होगी।
2. श्रेणी सुधार हेतु एक अंक के कृपांक की पात्रता केवल अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में होगी। किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो प्रकार के कृपांक का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

A.T.K.T. की पात्रता हेतु निर्देश

1. स्नातकोत्तर स्तर पर मध्यप्रदेश शासन के निर्णयानुसार केवल एवं प्रश्नपत्र में उपस्थित न हुआ हो तो उसे मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में उसी प्रश्नपत्र में A.T.K.T. की पात्रता होगी।
2. यदि विद्यार्थी C.C.E. में उपस्थित हुआ हो किन्तु अपरिहार्य कारणों से एक प्रश्नपत्र में उपस्थित न हुआ हो तो उसे मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में उसी प्रश्नपत्र में A.T.K.T. की पात्रता होगी।
3. यदि विद्यार्थी समस्त C.C.E. में उपस्थित हुआ हो किन्तु एक प्रश्नपत्र में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित न कर पाया हो, तो उसे उसी प्रश्नपत्र में A.T.K.T. की पात्रता रहेगी।
4. A.T.K.T. परीक्षा में निर्धारित अंक अर्जित न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी को पुनः A.T.K.T. की पात्रता नहीं होगी तथा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।
5. स्नातकोत्तर स्तर पर एक प्रश्नपत्र में A.T.K.T. के लिए केवल एक अवसर प्रदान किया जावेगा।
6. यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में 3 विषयों में अनुत्तीर्ण घोषित होता है तो उस विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर की परीक्षा देने की पात्रता नहीं होगी।

विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

महाविद्यालय की गरिमा बनाये रखने के लिये विद्यार्थीयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णतः अनुशासित रहें एवं महाविद्यालय के नियमों का ईमानदारी से पालन करें।

1. अध्ययन एवं पाठ्योत्तर कार्यक्रमों पर ध्यान लगाएं। कक्षाओं में नियमित रहें। सम्बन्धित शिक्षको से अपनी उपस्थिति की नियमित जानकारी लेते रहें। किसी भी प्रमाण–पत्र से उपस्थिति नहीं दी जावेगी।
2. विध्वंसात्मक गतिविधियों से स्वयं को दूर रखें। महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला की सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं स्वच्छता में सहयोग दें।
3. निर्व्यसन, सरल, नम्र एवं सादगीपूर्ण आचरण रखें। अश्लील, अशिष्ट, अशोभनीय व्यवहार न करें। मादक पदार्थों का सेवन न करें।
4. किसी कठिनाई या समस्या की स्थिति में स्वयं अथवा अभिभावक के माध्यम से प्राचार्य के समक्ष विनम्रता एवं शान्तिपूर्वक अपनी बात रखें।
5. छात्र एवं छात्राएं महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल शालीन वस्त्र पहने तथा व्यवहार भी शालीनतापूर्वक रखें।
6. महाविद्यालय में या बाहर किसी से दुर्व्यवहार न करें।
7. परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग न करें।
8. राजनैतिक गतिविधियों से दूर रहें। रैगिंग जैसे कृत्यों से बचें एवं दूसरों को भी राकें।

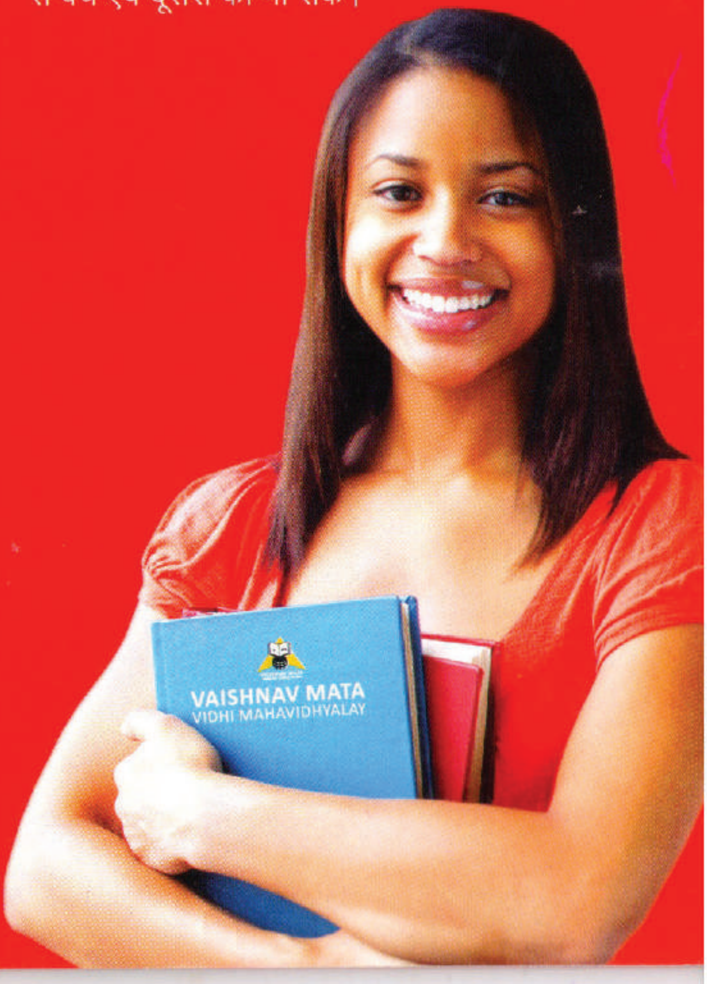

9. अपने वाहन सायकल स्टेण्ड पर ही रखें।

10. अधिकृत सूचना पटल से आवश्यक सूचना समय–समय पर प्राप्त करते रहें।

11. अस्वस्थ होने पर चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें, जिससे नाम निरन्तर रखा जा सके। चिकित्सा प्रमाण–पत्र स्वस्थ होने के एक सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय में प्रस्तुत करें।

12. माहविद्यालय का सकारात्मक योगदान पाल्य के विकास हेतु अपेक्षित है। पालकों से अनुरोध है कि अपने पाल्य की गतिविधियों एवं शैक्षणिक प्रगति पर निरन्तर ध्यान दें।

13. महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राऐं मोबाइल का प्रयोग न करें।

आचार संहिता के पालन न करने पर या किसी भी विवादास्पद स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

परिचय पत्र

प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को परिचय पत्र दिया जाता है। परिचय पत्र में समस्त पूर्तियाँ होने पर उसे सम्बन्धित प्रॉक्टर व प्रचार्य से अभिप्रमाणित कराना अनिवार्य है। अभिप्रमाणित परिचय–पत्र के आभाव में छात्र को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी एवं ग्रंथालय से पुस्तकें भी नहीं मिलेंगी, इस महाविद्यालय के समारोहों, टी.सी., छात्रवृत्ति और पूर्व अदेय प्रमाण पत्र लेते समय अथवा कभी भी निरीक्षण के समय परिचय पत्र बतलाना आवश्यक है। इसे सदैव अपने पास रखें।

शुल्क सम्बंधी निर्देश

सभी छात्र/छात्राओं द्वारा उनकी शुल्क दो किस्त में जमा करायी जावेगी। प्रथम किस्त पूर्व शुल्क की 1/2 राशि विद्यालय में प्रवेश के समय एवं दूसरी किस्त परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पूर्व जमा करनी आवश्यक होगी।

यदि किसी कारण से शुल्क जमा नहीं की जाती है तो उन्हें महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विलंब दंड देय होगा। अतः सभी विद्यार्थी अपनी–अपनी शुल्क समय से पूर्व जमा करें। यदि कोई छात्र महाविद्यालय में प्रवेश ले लेता है और पूर्व परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में उनकी शुल्क वापस नहीं की जावेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति

महाविद्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत अनु.जाति, जन–जाति, पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जो महाविद्यालय के केवल नियमित विद्यार्थियों को ही प्रदान की जावेगी। शासन द्वारा स्वीकृत एवं महाविद्यालय को प्राप्त होने पर ही छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

VAISHNAV MATA
MAHAVIDHYALAYA

VAISHNAV MATA
SHIKSHA SAMITI, PANNA

Salient Features

- ★ Highly Qualified Staff.
- ★ Excellent University Result.
- ★ Regular Seminars.
- ★ Additional Classes for Personality Development/ Spoken English and Advanced Course.
- ★ Computer Courses Scholarship for SC/ST/OBC Students
- ★ Academic Cultural and Sports Inter College Competition.
- ★ Educational Site Visit.
- ★ Well Equipped Computer Lab and Rich Library for Students.
- ★ Job Placement Facility.

VAISHNAV MATA MAHAVIDYALAYA
PANNA (M.P.)

VAISHNAV MATA SHIKSHA SAMITI, PANNA

Application Form for Admission

Academic Session-20 ....-20........

(Please read the instructions carefully before filling up the from and use only CAPITAL/BLOCK LETTERS)

From No. .... Student's Code No........................ Date ....

Please affix your passport size photograph duly attested by a gazetted officer

Enroll/Reg./Roll No. | | | | | | | | | | | | | |

(1) Course Opted ....

(2) Personal Information :

Name of Applicant : ....

Name of Father/Husband : ....

Name of Mother : ....

Date of Mother : ....

Place of Birth : ....

Category : General .... SC........ ST........ OBC......... Other...........

(Please Attach Certificate if SC/ST/OBC)

Medium Opted. : Hindi..........(Yes/No) English...........(Yes/No)

Medium of Previous Examination : ....Marital Status : ....

Knowledge of Languages : Hindi.......(Yes/No) English........(Yes/No) Other........

Profession/Occupation of :

Father/Mother/Husband : ....

Any Other Inportant Information : ....

Permanent Address With Landmark : ....

....Mob. No. ....

Postal/Correspondence address: ....

....Ph. No. ....

3. Educational Qualification Starting From 10+2 or equivalent examination.

Sr. No.	Name Of The Qualifying Examination	Board/ university	Year Of Passing	Subjects	% Of Marks
1.	10th ((High School)				
2.	12th (10+2)				
3.	Gradution				
4.	Post Gradution				
5.	Others				

Note : (1) Incomplete Forms Will not be entertalned. (2) Six Recently Sought colored passport size photographs. (3) Enclose Original Transfer Certificate, Character Certificate, Migration Certificate and Gap Certificate in the case of Dropper Student (For the Full time Degree Courses aspirants). (4) Three set of attested Xerox Copy of all Certificate and marksheets of qualifying examination I.e. Class Xth, XIIth, & Gradution. (5) Affidavit/Deciaration Form, Duly Signed by parents (Attached with the Bulletin)

Declaration

I have carefully gone through the rules and regulation of the university as well as the institute, which are mentioned this prospectus and promise to abide by them. I assure that i have filled all the information in the form to the best of my knowledge and belief, I would be responsible for the consequences if the information filled by me is found incorrect, I shall make all payment of university and institution fee, if I am admitted.

Date :- ....

Place:- ....

.... (Signature of Guardian)

.... (Signature of the applicant)

Mob. Num.-

For Office Use Only

(1) I have verified from the original certificate (10th,12th,Gradution,PG,Other.........................) of the candidate & certify that he/she fulfills the eligibility for .... course.

(2) I Verify that Mr/Ms./Mrs. ....has deposited a sum of rupees .... (in words) .... by cash/Cheque/D.D. (No.) .... Dated .... Drawn on .... as fee for admission.

Date :- ....

Place:- ....

.... (Signature of VerifyingAuthority)

.... (Signature of the Account Officer)

Recommendation of Adm. Co-ordinator/Chief Exe./Director/Principal

(1) This applicant is recommended for admission and his Roll No./Registration No./Enrollment No. Alloted..........

(2) The case is pending for the reason of ....

Signature/Full Name

(Admission Co-Ordinator)

Or

Computer Oprature

Signature/Full Name

(Chief Executive/Director/Principal)

VAISHNAV MATA
SHIKSHA SAMITI, PANNA

VAISHNAV MATA MAHAVIDHYALAYA

PLOT NO. 1229/2 VILLAGE PANNA, POST PANNA, DISTT. PANNA (M.P.)- 488001
Ph.: 07732-250001, 292125
Mobile : 7000687083, 9425168277, 7974395715
E-mail : vmvmpanna@yahoo.in
Web Site : www.vmvmpanna.in

Yamuna Bhopal - 9425014737

VAISHNAV MATA
SHIKSHA SAMITI, PANNA

VAISHNAV MATA VIDHI MAHAVIDHYALAY

Old Power House Chowk, Civil Line Road, PANNA (M.P.)
Ph.: 07732-250001, 292125
Mobile : 9406779905, 9425168277, 9424942352
E-mail : vmvmpanna@yahoo.co.in
Web Site : ***www.vmsspanna.nic***

Yamuna Bhopal - 9425014737

FEES STRUCURE

B.SC.

S.No.	Name of Head	Fees
1	Entrance and Conservation Fees	7000/-
2	Practical Fees	1000/-
3	Library Fees	500/-
4	Physical and cultural fees	500/-
5	College Development Fees	1000/-
Total		10,000/-

B.Com.

S.No.	Name of Head	Fees
1	Entrance and Conservation Fees	7000/-
2	Practical Fees	1000/-
3	Library Fees	500/-
4	Physical and cultural fees	500/-
5	College Development Fees	1000/-
Total		10,000/-

B.A.

S.No.	Name of Head	Fees
1	Entrance and Conservation Fees	4000/-
2	Library Fees	500/-
3	Physical and cultural fees	500/-
4	College Development Fees	1000/-
Total		6,000/-

B.Ed.

S.No.	Name of Head	Fees
1	Entrance and Conservation Fees	25000/-
2	Practical Fees	4000/-
3	Library Fees	1000/-
4	Physical and cultural fees	1000/-
5	College Development Fees	1000/-
Total		32,000/-